विदेशी ऋण का भार

84. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1998 और जनवरी, 1999 के अंत तक विदेशी ऋण की स्थिति क्या है;

(ख) देश के वित्तीय ढांचे पर विदेशी ऋण का भार कितना है और चालू वर्ष के दौरान वर्तमान सरकार ने कुल कितना ऋण लिया है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी ऋण अदायगी में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या विदेशी ऋण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) और (ख) मपर्च, 1998 के अंत और सितंबर, 1998 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कमश: 93,908 मिलियन अमरीकी डालर और 95,195 मिलियन अमरीकी डालर था।1 अप्रैल, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान सरकारी खाते से विदेशी सहायता का कुल संवितरण 1387 मिलियन अमरीक डालर था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) समय के साथ-साथ विदेशी ऋणग्रस्तता संकेतकों में नियमित सुधार हो रहा है। ऋण शोधन अनुपात 1990-91 के 35.3 प्रतिशत से सुधर कर 1997-98 में 19.5 प्रतिशत हो गया है। ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी 1991-92 के 37.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से सुधर कर 1997-98 में 23.8 प्रतिशत हो गया है। सरकार एक विवेकपूर्ण ऋण-प्रबंधन नीति का अनुपालन कर रही है जिसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं: निर्यातों की निरंतर उच्च वृद्धि बनाए रखना, परिपक्वता संरचना तथा वाणिज्यिक ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के अंतर्गत रखना और ऋण-भिन्न सृजक अंतर्प्रवाहों को प्रात्साहन देना।

Increase in Revenue due to Hike in Import Duty on Gold

85. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have increased the import duty on gold;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that increase in import duty on gold would encourage smuggling;

(d) if so, the steps proposed to be taken to curb smuggling activities; and

(e) the revenue likely to be earned by Government due to increased import duty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE BANKING, REVENUE AND INSURANCE (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (d) The custom duty on gold imported by eligible passengers, designated agencies and through Special Import Licence has been increased from Rs. 250 per 10 grams to Rs. 400 per 10 grams with effect from 5.1.99 vide Notification No. 2/9-Cus dated 4.1.99. The import duty on gold was increased considering the increasing trend in the quantity of gold imported and in order to moderate the import of gold and also to raise some additional revenue. The Government do not consider that the increase in import duty will encourage smuggling. However, preventive agencies have been alerted to take remedial measures.

(e) The estimated additional revenue is likely to be around Rs. 250 crores.

बैंक घटे

86. **चौधर हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक को अपने कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचारों के कारण भी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किये गये निवारक और दंडात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रलय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰ आर॰ जनार्दनन): (क) विगत वर्षों में सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा हानियां दिखाए जाने के पीछे प्रमुख कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च प्रशासनिक लागत, कर्मचारियों की ओर से कम उत्पादकता, अपूर्ण ऋण मूल्यांकन और पर्यवेक्षण पूर्व तंत्र, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तथा कमजोर आंतरिक लेखा कार्य व व्यवस्था, अनुयोज्य आस्तियों का उच्च स्तर और अपेक्षित सीमा तक प्रौद्योगिकीय उन्नयन को न अपनाया जाना शामिल हैं।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) बैंकों पर जिन बातों पर दबाव डाल्ती

रही है, वे हैं:- अपनी-अपनी ऋण मूल्यांकन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता और अग्रिमों पर गहन निगरानी तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार और अपने ऊपरी खर्चों में कमी लाना, कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों द्वारा आर बी आई की स्वीकृति के बिना पूंजीगत व्यय/शाखा विस्तार करने में अंकुश लगाना। जब कभी स्टाफ का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है तो बैंक उन पर लागू आचरण नियमावली के अनुसार, उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

राज्य सरकारों की शोचनीय वित्तीय स्थिति

87. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में औद्योगिक मंदी के कारण पंजाब सहित अनेक राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन सरकारों ने इस आर्थिक संकट पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, विशेष रूप से पंजाब को; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (घ) विविध कारणों से अपनी अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों से जूझने के लिए पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता मांगी है।

पंजाब के मामले में, राज्य सरकार की हकदारी के अनुसार जारी अग्रिम के अलावा, जब भी आवश्यक हुआ है, राज्य की प्राप्तियों और व्यय के बीच के अस्थायी विसंगति से निपटने के लिए राज्य को अधौषाय अग्रिम भी जारी किए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान पंजाब को अब तक दी गई और जारी की गई केन्द्रीय सहायता आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान पंजाब को अब तक दी गई और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(करोड़ रुपए में)

	मदें	1998-99 (अब तक)	
		आबंटन	जारी की गई
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	207.88	191.39
2.	न्यूनतम मूलभूत सेवाएं	38.94	31.28
3.	स्लम विकास स्कीम	9.04	8.25
4.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8.82	---@
5.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम	150.00	---@
6.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	281.20	141.33
7.	दशमेश अकादमी ऑफ मार्शल स्पोर्टस, आनन्द पुर साहिब के लिए अतिक्ति केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50
8.	सीमा क्षेत्र में किसानों की मुसीबतों को कम करना	8.00	---@
9.	यूनीवर्सटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट-लाइब्रेरी साईंसेज	1.00	---@

@ अभी तक जारी नहीं की गई।